भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 24 / 2015 / एफ.सी. / 596

दिनांक: 18-8-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : जनपद उन्नाव में उन्नाव–कानपुर राज्य मार्ग संख्या–58 के किमी0 3.100 से 15.800 के मध्य 4 लेनिंग चौड़ीकरण एवं साइकिल ट्रैक / सर्विस लेन के निर्माण में प्रभावित 22.606 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2235 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 25 / 14–2–2015–800(79) / 2015, दिनांक– 27.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. भाग–1 ई में परियोजना से मिलने वाला रोजगार शून्य दर्शाया गया है जबकि परियोजना की लागत 102. 6992 करोड़ है। परियोजना के निर्माण के दौरान उपलब्ध होने वाले रोजगार का ब्यौरा उपलब्ध करायें।
2. पृष्ठ 8 एवं 9 के भाग–।।, में वन भूमि का वानस्पतिक धनत्व 0.02 दर्शाया गया है जबकि प्रस्तावित क्षेत्र में 2265 वृक्ष विद्यमान है एवं जिसमें से 647 वृक्ष 150 सेमी0> व्यास के है जो दर्शाता है कि धनत्व गलत दर्शाया गया है।
3. पृष्ठ 11 के भाग–।। में क्रम संख्या 7 में वन सीमा से परियोजना की दूरी 65 किमी0 दर्शायी गयी है जो कि गलत है क्योंकि नवाबगढ़ वन्य जीव अभ्यरण परियोजना के निकट में ही स्थित है। सही सूचना उपलब्ध करवाएं एवं अगर यह परियोजना अभ्यारण्य के पास से गुजरती है तो मुख्य वन्य जीव पालक की अनुशसा प्रस्तुत करें।
4. पृष्ठ–11 के भाग ।। में क्रम संख्या– 8(iii) के अनुसार वन्य जीव अभ्यरण से दूरी एवं अधिसूचित ईको सेनसेटिव जोन के बारे में ब्यौरा उपलब्ध करायें।
5. पृष्ठ 15 में उपलब्ध क्षेत्रफल की गणना में जो आवश्यक वन भूमि दर्शायी गयी है, वह संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।
6. पृष्ठ 16 पर संलग्न लागत लाभ विश्लेषण वन संरक्षण अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध नही करायी गयी है।
7. पृष्ठ 17 में संलग्न कार्य न शुरू किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र यह नही दर्शाता कि यह किस परियोजना से संबंधित है।
8. पृष्ठ संख्या–18 पर दिये गये भुगतान संबंधित वचनबद्धता पर न तो परियोजना का नाम लिखा गया है न ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।
9. पृष्ठ–20 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत धनराशि की अण्डरटेकिंग में परियोजना का नाम नही दर्शाया गया है और न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।
10. पृष्ठ 21 पर संलग्न एन0पी0वी0 की लागत धनराशि की अण्डरटेकिंग में में परियोजना का नाम नही दर्शाया गया है और न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।
11. पृष्ठ 22 पर संलग्न वैकल्पिक भूमि की अण्डरटेकिंग में परियोजना का नाम नही दर्शाया गया है और न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।
12. पृष्ठ 23 पर संलग्न मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र में किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर है।

17/8/15

13. प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र जिसमें मध्य रेखीय कोर्डिनेट्स (अक्षांश एवं देशान्तर) को दर्शाया गया है जिसे न तो प्रयोक्ता अभिकरण और न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। सभी मुख्य बिन्दुओं को वन सीमा के अनुसार समाहित करके भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र प्रस्तुत करें।

14. पृष्ठ 35 पर उपलब्ध वनाधिकारी अधिनियम प्रमाण पत्र में संबंधित प्राधिकारी की मोहर अंकित नही है।

15. पृष्ठ 36 पर पातन होने वाले वृक्षों की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है एवं उसमें किये गये संशोधन को सत्यापित नही किया गया है।

16. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में लगने वाली लागत धनराषि के प्राकलन में संबंधित उप वन संरक्षक की दिनांक एवं मोहर उपलब्ध नही है।

17. पृष्ठ 38 पर संलग्न स्थल निरीक्षण आख्या में उप वन संरक्षक की मोहर एवं दिनांक अंकित नही की गयी है।

18. पृष्ठ 39,40 एंव 41 में संलग्न प्रमाण पत्र में उप वन संरक्षक की मोहर एवं दिनांक उपलब्ध नही है।

19. पृष्ठ 46 पर संलग्न मानचित्र में कोई शीर्षक, सारिणी एवं उद्देश्य नही दर्शाया गया है।

20. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि का डिजीटल मानचित्र ईलेक्ट्रानिक माध्यम से नहीं उपलब्ध करवाया गया है ऑन लाईन प्रस्ताव की .shp ficl/kml fil c uploaded किया गया है वह खुल नही रहा है।

21. पृष्ठ–35 पर यह नही दर्शाया गया हे कि प्रस्ताव किसने बनाया है एवं किसके हस्ताक्षर है।

22. पृष्ठ 31 में उपलब्ध कराया गया रेखाचित्र के साथ क्षेत्रफल की गणन मेल नही खाती है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव, उ0प्र0
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव, उ0 प्र0।
5. श्री कमल मिश्रा,राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

17/8/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}